सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया   प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 24.04.2026

जनपद आजमगढ़

01.छेड़खानी व पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई, बालिका सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं संरक्षण के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए छेड़खानी व पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना –

दिनांक 20.04.2026 को वादी द्वारा थाना कन्धरापुर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि प्रतिवादी अविनाश यादव, जो विद्यालय में शिक्षक है, द्वारा उसकी नाबालिग नातिन (कक्षा 03 की छात्रा, उम्र लगभग 11 वर्ष) को पढ़ाने के बहाने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी की गई। पीड़िता द्वारा किसी प्रकार स्वयं को छुड़ाकर घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी गई, जिसके आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 89/2026 धारा 74 बीएनएस व 3(1)द, 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट तथा 9(M)/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण –

विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त अविनाश यादव पुत्र जयसिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट गंगरौली थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, हाल पता श्रीमती मेवाती देवी प्राथमिक विद्यालय धरसन थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष को दिनांक 23.04.2026 को समय करीब 11:40 बजे सेहदा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 89/2026 धारा 74 बीएनएस व 3(1)द, 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट तथा 9(M)/10 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अविनाश यादव पुत्र जयसिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट गंगरौली थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, हाल पता श्रीमती मेवाती देवी प्राथमिक विद्यालय धरसन थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ0नि0 प्रमोद मद्धेशिया, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

2.हे0का0 अजय कुमार कन्नौजिया, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

3.का0 विनय कुमार यादव, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत जनपद पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु सतत प्रतिबद्ध है तथा ऐसे अपराधों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

जनपद-मऊ

01.अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 10788 /- (दस हजार सात सौ अठ्ठासी) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 10788 /- (दस हजार सात सौ अठ्ठासी रुपेय) पीड़िता निर्मला मिश्रा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ 10788 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

02. पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 23.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 36 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1100 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 148 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान एवं 09 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

3. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्तों को 01 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व ₹15000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 22-04-2026 को मु0अ0सं0 72/2012 धारा 222,223,224 भादवी थाना जीआरपी जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. कांस्टेबल सुदामा यादव पुत्र स्वर्गीय कैलाश यादव निवासी लालपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर वर्तमान नियुक्ति प्रयागराज 2. कांस्टेबल सुधाकर सिंह पुत्र स्वर्गीय परशुराम सिंह निवासी युवराजपुर जनपद गाजीपुर वर्तमान नियुक्ति फतेपुर 3. कांस्टेबल सूबेदार सिंह पुत्र

स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव निवासी वैरापुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर वर्तमान नियुक्ति थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को कारित अपराध के लिए 01 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।
सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी राहुल यादव थाना जीआरपी का सराहनीय योगदान रहा।

4. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त ₹1100 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 22-04-2026 को मु0अ0सं0 1717/2010 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त आरोपी संजय यादव पुत्र सोमारु यादव निवासी नरेन थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को कारित अपराध के लिए व ₹1100 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

जनपद -बलिया

01.थाना मनियर जनपद बलिया पुलिस द्वारा 04 अदद गुम हुए मोबाईल फोन (कीमती कुल 60000/-) को किया बरामद।

मोबाइल स्वामियों ने मनियर पुलिस टीम का भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए दिया धन्यवाद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री ओमवीर सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर CEIR पोर्टल के माध्यम से दर्ज मोबाईल गुमशुदगी की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बलिया उत्तरी महोदय श्री दिनेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह महोदय श्री जयशंकर मिश्र के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार त्रिपाठी थाना मनियर को मिली सफलता।
उल्लेखनीय है कि अलग-अलग स्थानों पर खोये/गुमशुदा हुए मोबाईलों जिस सम्बन्ध में आवेदको द्वारा अपने मोबाइलों की गुमशुदगी CEIR पोर्टल पर दर्ज कराया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.04.2026 को थाना मनियर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर रन कराये गये गुमशुदा मोबाईलों को थाना क्षेत्र से कुल 04 अदद मोबाईलों (कीमती कुल 60000/-) बरामद कर स्वामीयों को नियमानुसार पुलिस टीम द्वारा सुपुर्द किया गया।
बरामद करने वाली पुलिस टीम का नाम-
1.उ0नि0 सुधीर चौहान थाना मनियर बलिया
2.क0आ0 मनोज प्रजापति (CCTNS) थाना मनियर जनपद बलिया
3.का0 अक्षय शुक्ला थाना मनियर जनपद बलिया (साइबर टीम)
4.हे0का0 कमला यादव थाना मनियर जनपद बलिया

02. थाना बैरिया जनपद बलिया पुलिस द्वारा गुम हुए 08 अदद मोबाइल फोन को किया गया बरामद।

बरामद मोबाइल फोन को सम्बन्धित मोबाइल स्वामियो को किया गया सुपुर्द।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर CEIR पोर्टल के माध्यम से दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री फहीम कुरैशी व प्र0नि0 बैरिया श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बैरिया पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आवेदकगण का मोबाइल बाजार जाते समय कहीं गुम हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अपने मोबाइल की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी, जिसके उपरान्त थाना बैरिया पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल पर रजिस्टर एवं सर्विलांस सेल बलिया व थाना साइबर हेल्प डेस्क की सहायता से खोज किया जा रहा था। जिसके क्रम में दिनांक 23.04.2026 को थाना बैरिया पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर रन कराये गये गुमशुदा 08 अदद मोबाइल को थाना क्षेत्र से बरामद कर मोबाइल स्वामियों को नियमानुसार पुलिस टीम द्वारा सुपुर्द किया गया। मोबाइल स्वामियों ने बैरिया पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए दिया धन्यवाद।

बरामद मोबाइल का विवरण-

1. एक अदद मोबाईल फोन INFINIX (6200)/-
2. एक अदद मोबाईल फोन REALME (12000)/-
3. एक अदद मोबाईल फोन ONEPLUS (14275)/-
4. एक अदद मोबाईल फोन OPPO (13999)/-
5. एक अदद मोबाईल फोन VIVO (17000)-
6. एक अदद मोबाईल फोन SAMSUNG (30499)-
7. एक अदद मोबाईल फोन REALME (7500)-
8. एक अदद मोबाईल फोन REALME (4000)-

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धनन्जय सिंह थाना बैरिया जनपद बलिया।
2. क0आ0 संजय यादव थाना बैरिया जनपद बलिया।
3. का0 विकास ओझा थाना बैरिया जनपद बलिया।

03.थाना उभांव जनपद बलिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी श्री दिनेश कुमार शुक्ला व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी रसड़ा श्री आलोक कुमार गुप्ता के निकट पर्यवेक्षण व प्र0नि0 श्री दिनेश कुमार पाठक के कुशल नेतृत्व मे थाना उभांव पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.04.2026 को थाना उभाँव पुलिस टीम की उ0नि0 किरन यादव मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र जांच प्रार्थना पत्र करते हुए तथा मा0 ग्राम न्यायालय बेल्थरा रोड जनपद बलिया द्वारा निर्गत एनबीडब्लू मु0नं0 5701/12 सरकार बनाम शिवनाथ में मामूर थे कि मुखविर की सूचन पर *वारन्टी 1. दिनेश पुत्र प्रभुनाथ

2.इन्दल पुत्र शिवनाथ निवासीगण ककरासो थाना उभांव जनपद बलिया को घऱ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय ग्राम न्यायालय बेल्थरा रोड जनपद बलिया भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग

1. मु0नं0 5701/12 धारा 323,504 भादवि थाना उभाँव जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. दिनेश पुत्र प्रभुनाथ निवासी ककरासो थाना उभांव जनपद बलिया
2. इन्दल पुत्र शिवनाथ निवासी ककरासो थाना उभांव जनपद बलिया

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 किरन यादव थाना उभांव जनपद बलिया
2. का0 मुकेश यादव थाना उभाँव जनपद बलिया